संख्या- 8/2015/ 337/अडतीस-7-2015-18नरेगा/2015

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
हापुड, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, कासगंज, ललितपुर,
सुलतानपुर, अमरोहा, एटा, बागपत, सिद्धार्थनगर एवं फिरोजाबाद।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 25 फरवरी, 2015**

विषय- मनरेगा कार्मिकों के लम्बित मानदेय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत सेवा प्रदाता/संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का मानदेय लम्बित होने के संबंध में समय-समय पर प्राप्त् हो रहे प्रकरणों के दृष्टिगत राज्य स्तर पर इस संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि कतिपय जनपदों द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक निधि का व्यय किये जाते समय शासनादेश संख्या -1964/38-7-2010-369एनआरईजीए/2008 दिनांक: 26-05-2010 के प्राविधान संख्या-03 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनरेगा योजनान्तर्गत दिनांक: 26-05-2010 को निर्गत शासनादेश संख्या -1964/38-7-2010-369एनआरईजीए/2008 में प्रशासनिक निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में सर्वोच्च प्राथमिकता मनरेगा कार्मिकों के मानदेय भुगतान को दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक निधि में जनपदों में किये गये कुल व्यय में से मनरेगा कार्मिकों के मानदेय पर किये गये व्यय एवं मानदेय से भिन्न मदों पर किये गये व्यय की तुलना पर आधारित रिपोर्ट(संलग्न) के अनुसार उपरोक्त शासनादेश के उक्त प्राविधान का विचलन जनपदों द्वारा किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जनपदों में प्रशासनिक निधि के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी मनरेगा कार्मिकों के मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

3- उपरोक्त के आलोक्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त संदर्भित शासनादेश के प्राविधान का अक्षरश: पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे मनरेगा योजनान्तर्गत उपलब्ध प्रशासनिक निधि से सर्वप्रथम आपके जनपद में मनरेगा कार्मिकों के लम्बित मानदेय का भुगतान किया जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-8/2015 (1)/अड़तीस-7-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।**
2. **अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।**
3. **संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।**
4. **संबंधित परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उ0प्र0।**
5. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।